केन्द्र प्रायोजित योजना

बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं०सं०–5/निदे०(प्री मैट्रिक)–11–06/2021– 122

प्रेषक,

संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचंद पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक –19/08/2026

विषयः– वित्तीय वर्ष 2026–27 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत (75:25) अनुसूचित जनजाति प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति (वर्ग–9 एवं 10) योजना के तहत् केन्द्रांश मद में प्राप्त Mother Sanction ₹246.00 लाख (दो करोड़ छियालीस लाख रू0) मात्र की राशि एवं राज्यांश मद में ₹82.00 लाख (बयासी लाख़ रू0) मात्र की राशि अर्थात कुल ₹328.00 लाख (तीन करोड़ अठाइस लाख रू0) मात्र की राशि की स्वीकृति।

आदेश–स्वीकृत।

2–वित्तीय वर्ष 2026–27 में जनजातीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली भारत सरकार के पत्रांक–12419/JS & FA/2026 दिनांक–24.07.2026 द्वारा केन्द्र प्रायोजित योजना (75:25) के अंतर्गत केन्द्रांश मद में ₹246.00 लाख (दो करोड़ छियालीस लाख रू0) मात्र की राशि का Mother Sanction प्राप्त हुआ है। बजट उपबंध के आलोक में उक्त केन्द्रांश मद की राशि ₹246.00 लाख (दो करोड़ छियालीस लाख रू0) तथा राज्यांश मद में ₹82.00 लाख (बयासी लाख़ रू0) मात्र की राशि अर्थात कुल ₹328.00 लाख (तीन करोड़ अठाइस लाख रू0) मात्र की राशि की स्वीकृति दी जाती है।

3–उक्त राशि की मांग सं0–44 के योजना बजट मुख्य शीर्ष–''2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गो और अल्पसंख्यकों का कल्याण–उपमुख्य शीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा– उपशीर्ष–0217–अनु0 जनजाति के विद्यार्थियों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति विषय शीर्ष–0217.34.01 छात्रवृत्ति वजीफा– विपत्र कोड सं0–44–222502277 0217'' पी0एफ0 एम0एस0 कोड–9272 के तहत् विकलनीय होगा।

4– जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक–19012/02/2025–Sch दिनांक–19.06.2025 द्वारा Pre-Matric and Post-Matric Scholarship Scheme for ST को SNA SPARSH के तहत् क्रियान्वयन हेतु अधिसूचित किया गया है।

5– वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–5295 दिनांक–09.05.2025 तथा व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के O.M. दिनांक–13.07.2023 तथा समय–समय पर निर्गत SNA SPARSH के दिशा–निर्देश के आलोक में राशि का व्यय किया जाएगा।

6–इस योजना के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, Implementing Agency (IA) के रूप में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव/सचिव द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी होंगे। शिक्षा विभाग के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/Implementing Agency (IA), निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे तथा व्यय की गई राशि की व्यय विवरणी समय–समय पर अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

7–वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र पत्रांक–2561 दिनांक–17.4.1998 एवं केन्द्र सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका तथा राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में राशि की निकासी एवं व्यय किया जायेगा। संकल्प सख्यां–3098 दिनांक–20.12.

(6)

2017 के आलोक में राज्य स्तर पर इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर मुख्य सचिव/सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार होंगे।

8– अनु0 जनजाति प्री मैट्रिक छात्रवृति (वर्ग–9 एवं 10) योजना के तहत राशि का व्यय जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका में निहित प्रावधानों एवं विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश के आलोक में किया जायेगा ।

9–इस स्वीकृति के आलोक में शिक्षा विभाग, छात्रवृति हेतु व्यय किये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र निर्धारित समय–सीमा के अन्दर नियमानुसार महालेखाकार को समर्पित करते हुए इसकी सूचना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को भेजेंगे।

10–इस राशि की स्वीकृति हेतु पृ0 /टि0 पर आतंरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

11–इस राशि की स्वीकृति की सूचना सभी संबंधित पदाधिकारी को दी जा रही है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

17.08.26

(संदीप कुमार आर0 पुडकलकट्टी)
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0(प्री मैट्रिक)–11–06/2021– 122 पटना, दिनांक– 19/08/2026

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/सचिव, वित्त विभाग/सचिव, शिक्षा विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमण्डलीय उप निदेशक कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17.08.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0(प्री मैट्रिक)–11–06/2021– 122 पटना, दिनांक– 19/08/2026

प्रतिलिपिः–सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

17.08.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0(प्री मैट्रिक)–11–06/2021– 122 पटना, दिनांक– 19/08/2026

प्रतिलिपिः–निदेशक/प्रभारी बजट शाखा/आई0 टी0 मैनेजर/सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

17.08.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0(प्री मैट्रिक)–11–06/2021– 122 पटना, दिनांक– 19/08/2026

प्रतिलिपि– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, शिक्षा विभाग/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

17.08.26

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–5/निदे0(प्री मैट्रिक)–11–06/2021– 122 पटना, दिनांक– 19/08/2026

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन नई दिल्ली–110001 को सूचनार्थ प्रेषित।

17.08.26

सरकार के सचिव।